संख्या–1964/26–2–2010–3मु0स0/2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ:दिनांक 25 जून, 2010

विषयः–**उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय की आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त मार्गदर्शन बिन्दु।**

महोदय,

दिनांक 23 एवं 24 जून, 2010 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में जनपद स्तर पर लाभार्थियों के सर्वे एवं उसकी डाटा इण्ट्री की प्रगति की समीक्षा की गयी। इस समीक्षा के दौरान विभिन्न जिलों से कुछ पृच्छायें की गयीं तथा कतिपय जनपदों में की जा रही त्रुटियॉ भी प्रकाश में आयीं। यद्यपि पूर्व में शासन स्तर से जारी शासनादेशों में इस योजना के संचालन हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गये थे, किन्तु वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के अनुभव को देखते हुए निम्न बिन्दु पुनः स्पष्ट किये जाते हैं:–

1. सभी जनपदों में अपेक्षित है कि लाभार्थी सर्वे, डाटा इण्ट्री एवं सत्यापन तथा सूची–प्रकाशन का कार्य साथ–साथ किया जाये अर्थात जिन ग्राम पंचायतों में डाटा इण्ट्री का कार्य हो जाता है, उस डाटा के सत्यापनोपरान्त तत्काल प्रकाशन की कार्यवाही कर दी जाये तथा अन्य पंचायतों की इण्ट्री की प्रतीक्षा न की जाय। इससे गॉव सभा की खुली बैठकें आयोजित करने हेतु पर्याप्त समय मिलेगा।
2. कुछ जनपदों द्वारा मैनुअल सूचियॉ प्रकाशित की गयीं, जबकि निर्देश यह है, कि एन0आई0सी0 के माध्यम से निर्धारित साफ्टवेयर में डाटा इण्ट्री एवं सत्यापन के बाद कम्प्यूटर जनित सूची ही गॉव सभाओं में प्रकाशित की जाय।
3. सूची प्रकाशन के साथ विभिन्न लाभार्थियों को दिये गये अंकों तथा पात्रता निर्धारण के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में विवरण ग्राम सभा स्तर पर सूचियों के साथ ही प्रकाशित किया जाय, ताकि लोगों को ज्ञात हो सके कि सूची किस आधार पर बनायी गयी है।
4. कम्प्यूटर की एन0आई0सी0 के माध्यम से डाटा इण्ट्री के पूर्व आवश्यक है, कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों के माध्यम से समस्त डाटा का सत्यापन कर समाधान कर लिया जाय, कि एजेन्सी द्वारा सही प्रविष्टियॉ की गयीं हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1792/26–2–2010–3मु0स0/2010, दिनांक 11.6.2010 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।
5. ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों के आयोजन में परगनाधिकारी अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाना है, कि इससे निम्न स्तर के अधिकारियों को ग्राम सभा की खुली बैठक हेतु

किसी भी दशा में नही लगाया जायेगा तथा प्रयास यह किये जायेंगे कि परगना अधिकारी ही अधिकतर बैठकों में उपस्थित रहें।

6. सभी जनपदों में जहॉ काम पिछड़ रहा है वहॉ अतिरिक्त कम्प्यूटर तथा जनशक्ति लगाकर निर्धारित अवधि में ही कार्य पूर्ण किया जाय।
7. दिनांक 30 जून, 2010 तक प्रत्येक दशा में सर्वे तथा डाटा इण्ट्री का कार्य पूर्ण किया जाना है, जिसका विवरण 03 जुलाई, 2010 को मा0 मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत होगा। जनपद स्तर से भेजे गये यह सभी विवरण, अन्त में एन0आई0सी0 के माध्यम से प्राप्त विवरण के आधार पर ही मान्य होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
समाज कल्याण आयुक्त